निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 भाद्र 1943 (श0)

(सं0 पटना 743) पटना, वृहस्पतिवार, 26 अगस्त 2021

सं० 2@I I0&1081@2009–7924 / सा0प्र0
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

2 अगस्त 2021

श्री दीपू कुमार (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 823 / 11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बनियापुर एवं लहलादपुर, सारण, छपरा सम्प्रति अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, हथुआ, गोपालगंज के विरूद्ध ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 6845 दिनांक 06.08.2009 के माध्यम से जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा द्वारा इंदिरा आवास योजना में की गयी अनियमितताओं के लिए पत्रांक 221(मु0) दिनांक 24.07.2007 एवं पत्रांक 268(मु0) दिनांक 14.08.2007 द्वारा दो चरणों में प्रपत्र 'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया।

उक्त आरोपों के लिए पुलिस द्वारा बनियापुर थाना कांड संख्या 75 / 2007 दिनांक 31.08.2007 दर्ज किया गया, जिसमें विधि विभाग के आदेश ज्ञापांक 8329 दिनांक 17.11.2011 द्वारा अभियोजन स्वीकृत है तथा धारा–408 / 409 भा0द0वि0 के अन्तर्गत आरोप–पत्र संख्या 359 / 2011 दिनांक 21.12.2011 सक्षम न्यायालय में दायर है।

विभागीय पत्रांक 5539 दिनांक 24.04.2014 श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों पर स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण बिन्दुवार एवं तथ्यात्मक नहीं पाया गया, जो स्पष्ट करता है कि उनके विरूद्ध इंदिरा आवास आवंटन में अनियमितता बरतने, सामान्य रोकड़ पंजी पर हस्ताक्षर किए बिना तथा प्रभार सौंपे बिना प्रस्थान कर जाने का आरोप प्रथम दृष्टया सही पाते हुए अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित अनुलग्नक अनुबंध में अंतर्विष्ट आरोपों की जाँच विहित रीति से करने हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 / 19 के प्रावधानों के तहत् विभागीय संकल्प ज्ञापांक 6546 दिनांक 09.05.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी–सह–आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा के पत्रांक 569 दिनांक 28.12.2018 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें सभी (कुल–10) आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। विभागीय पत्रांक 3739 दिनांक 18.03.2019 एवं अन्य स्मार पत्रों द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18(3) के तहत बचाव अभ्यावेदन की मांग की गयी। श्री कुमार का बचाव अभ्यावेदन अबतक अप्राप्त है, जिससे प्रतीत होता है कि श्री कुमार को अपने पूर्व में दिये गये स्पष्टीकरण में उल्लेखित तथ्यों के अलावा इन आरोपों के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों एवं संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की सम्यक् समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त श्री दीपू कुमार के विरूद्ध इंदिरा आवास योजना के कार्यान्वयन में बरती गई अनियमितताओं, रोकड़ पंजी पर हस्ताक्षर नहीं करने तथा बिना प्रभार सौंपे प्रस्थान कर जाने सहित कुल–10 आरोप प्रतिवेदित है। संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच के क्रम में सभी आरोपों को प्रमाणित पाया गया है। श्री कुमार के विरूद्ध इंदिरा आवास योजना में व्यापक रूप से अनियमितता बरते जाने का आरोप प्रमाणित पाया गया। श्री कुमार द्वारा इंदिरा आवास योजना को सैंकड़ों लाभान्वितों को बिना बैंक खाता खुलवाये भुगतान आदेश निर्गत किये जाने, पूर्व से ही पक्का मकान उपलब्ध लाभान्वितों को इंदिरा आवास अभिलेख स्वीकृत किये जाने एवं योजना के तहत् उपलब्ध राशि से अधिक राशि का भुगतान आदेश निर्गत किये जाने का आरोप प्रमाणित पाया गया। साथ ही उनके द्वारा रोकड़ पंजी को हस्ताक्षरित नहीं किया जाना एवं प्रभार हस्तांतरण संबंधित सामान्य नियमों की भी अनदेखी किया जाना भी प्रमाणित पाया गया।

अतः अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री दीपू कुमार (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 823/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बनियापुर एवं लहलादपुर, सारण, छपरा के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम–14 के संगत प्रावधानों के तहत् **(i) देय तिथि से पाँच वर्षों तक प्रोन्नति पर रोक, (ii) संचयी प्रभाव से पाँच वेतनवृद्धियों पर रोक** का दंड अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया।

विभागीय पत्रांक 5157 दिनांक 28.04.2021 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से श्री कुमार के विरूद्ध विनिश्चित दण्ड प्रस्ताव पर सहमति/परामर्श की मांग की गई। आयोग के पत्रांक 839/लो0से0आ0 दिनांक 09.07.2021 द्वारा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित दण्ड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी।

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चत दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त सहमति के आलोक में श्री दीपू कुमार (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 823/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बनियापुर एवं लहलादपुर, सारण, छपरा सम्प्रति अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, हथुआ, गोपालगंज के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 के संगत प्रावधानों के तहत निम्नलिखित दंड दिया एवं संसूचित किया जाता है।

(i) देय तिथि से पाँच वर्षों तक प्रोन्नति पर रोक।

(ii) संचयी प्रभाव से पाँच वेतनवृद्धियों पर रोक।

आदेश :– **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाय।**

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रचना पाटिल,
सरकार के अपर सचिव।

———

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 743-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in